न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–77/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00109)

1. भैंरूलाल पुत्र गजानन्द, जाति मीना, निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मदनलाल पुत्र गजानन्द,
2. रमेश पुत्र कानाराम,
3. शांति पत्नी रामजीलाल, समस्त जाति मीना निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
4. राज्य सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
5. बनवारी,
6. महेश कुमार पुत्रान गजानन्द, जाति मीना, निवासी शाहपुरा, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 08.01.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर के आदेश दिनांक 11.01.2018 (प्रकरण संख्या 169/2016 पुनः दर्ज 47/17) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 4210, 4211, 4213, 4215, 4216, 4220, 4221, 4241, 4242, 5475 वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला के 1/4 हिस्से के काबिज सहकृषक अपीलान्ट व खसरा नम्बर 4214 व 4218 गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम शाहपुरा में हिस्सा 5 आना 4 पाई में 1/4 हिस्सा के काबिज सहकृषक अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बगैर व बिना अपीलान्ट की सहमति व नोटिस में लाये बगैर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आराजी उक्त मुताबिक पडौसी काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र बाबत स्थापित किये जाने स्थायी सीमांकन पेश किया जिस पर रेस्पोड़ेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब मय नक्शा व अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में ही दिनांक 04.06.2016 की सीमांकन फर्द मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.09.2016 को पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस अपील को न्यायालय श्रीमान् द्वारा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.09.2016 को निरस्त करते हुये प्रकरण रिमाण्ड किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना किये बिना ही कतई खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मामला हाजा की वास्तविक स्थिति को समझे बगैर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब मय नक्शें जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मिलीभगत से तैयार किया गया है व मिलीभगत कर रंग भरकर दर्शाया गया है जिसको तवज्जो देते हुए अपीलान्ट व अन्य सहकृषकगण के नोटिस में लाये बैगर दिनांक 04.06.2016 की सीमांकन फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक स्थिति को दरकिनार कर पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2016 को रिपीट कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भयंकर कानूनी गलती की गई है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि वास्तविक स्थिति तो यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रभाव में लेकर प्रश्नागत आराजी की अपनी सुविधा से अपीलान्ट के हिस्से की आराजी में से रास्ता निकालते हुये पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 4222 में से रास्ते के लिये अलग जमीन करीब 12 फीट का रास्ता ना छोड़ना पडे और रास्ता अपीलान्ट की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 4221 में से रास्ता निकल जाये इस कुत्सित प्रयास में कामयाबी के लिये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश करवाया है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत गलत तथ्यों पर प्रश्नगत निर्णय पारित करने में भयंकर गलती है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की खातेदारी दीगर खसरा नम्बर भी प्रश्नगत निर्णय में शामिल करते हुये बिना आवेदन के व बिना सीमाज्ञान के जिनका जिक्र सीमाज्ञान रिर्पोट दिनांक 04.06.2016 में भी नही है, की भी पत्थरगढ़ी के आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के प्रभाव में आकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक प्रक्रिया के विपरित है जबकि अपीलाधीन निर्णय बाबत पत्थरगढ़ी किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष की खातेदारी की आराजी का सीमांज्ञान करवाकर प्रकरण को निस्तारित करना चाहिये था इस लिहाजे से भी प्रश्नगत निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के रिमाण्ड आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज कर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगणों को पुनः सम्मन भेजकर जवाब साक्ष्य, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का सभी प्रभावित पक्षकारों को समुचित अवसर प्रदान कर एवं बहस सुनकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन कर व प्रकरण पर गहन मनन करने के उपरान्त ही विधि सम्मत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2018 पारित किया गया जिसकी पालना में सीमाज्ञान/पत्थरगढी दिनांक 28.02.2018 को सम्पूर्ण कर अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के निर्णय दिनांक 11.01.2018 की पालना की गई है, इस प्रकार उक्त निर्णय का क्रियान्वयन विधिवत हो चुका है तथा अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र में इस तथ्य को छुपाया गया है तथा अपीलार्थी की अपील इनफक्चूअस हो चुकी है इसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी भैरूलाल को जवाब साक्ष्य, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, तत्पश्चात भी अपीलार्थी ने कोई भी दस्तावेजात, साक्ष्य प्रस्तुत नही किये, इस प्रकार अपीलार्थी भैरूलाल एवं उसके भाई मदनलाल, बनवारी लाल एवं महेश कुमार से आपसी मिलीभगत कर एवं साजकर पड़ौसी खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को हैरान एवं परेशान करने की नियत से सीमाज्ञान/पत्थगरढी के विवाद में हमेशा उलझाये रखना चाहते है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता रहा है जबकि अपीलार्थी एवं उसके सगे भाईयों को सीमाज्ञान/पत्थरगढी के समय अपीलार्थी एवं उसके भाई मौके पर मौजूद रहे थे लेकिन जानबुकर मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नही किये गये। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी ने अपनी अपील में मनगंढत तथ्य अंकित कर अपील प्रस्तुत की गई है जो सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 06.03.2017 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को समुचित अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिाकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2018 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर